

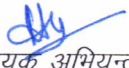
परियोजना / वन भूमि का औचित्य

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में घुघती-कैलानी से मसमौली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 1.044 है० (6.500 किमी.)

उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं० 245/111-2/06-07(प्रा०आ०)/10 दिनांक 28.10.05 द्वारा ₹.1.3.9 लाख मात्र के लिए 6.500 किमी० लम्बाई हेतु प्राप्त हुई है।

उक्त मोटर मार्ग देघाट-घटगाड़ मोटर मार्ग के किमी० 3.00 से प्रारम्भ होकर ग्राम घुघती-कैलानी तक जायेगी। इस मोटर मार्ग के निर्माण में राज्य सिविल भूमि 0.707 है०, वन पंचायत 0.837 है० कुल 1.044 है० वन भूमि प्रभावित होती है तथा 5.850 है० नाप भूमि प्रभावित होती है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से सभी ग्रामवासी लाभान्वित होंगे, तथा गांव में फल-सब्जी व दुग्ध उत्पादन को मुख्य मार्ग से होकर मण्डी तक ले जाने में सुविधा होगी। इसी प्रकार शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं को लाभ भी ग्रामवासी उठा पायेंगे तथा पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा व पलायन की कमी होगी।

अतः 6.500 किमी० लम्बाई में 1.044 है० का वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव गठित किया गया। मार्ग का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है।


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिशसी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत